
### कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचा 2.00 : व्यक्तियों और लघु व्यवसाय के लिए अग्रिम

कोविड-19 संबंधित तनाव (वैयक्तिक ऋण और लघु व्यवसाय ऋण) के लिए समाधान ढांचा
2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतिगत दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं। उपरोक्त दिशानिर्देश आरबीआई अधिसूचना संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 पर आधारित हैं।



- सी) आगे कृषि को उधार देने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सिमतियों (पीएसीएस), किसान सेवा सिमतियों (एफएसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुद्देश्यीय सिमतियों (एलएएमपीएस) को दिये गए ऋण।
- डी) एनबीएफसी सिहत वित्तीय सेवा प्रदाताओं को एक्सपोज़र। वित्तीय सेवा प्रदाताओं का वही अर्थ होगा जो दिवाला और दिवालियापन अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (17) में वर्णित है।
- ई) केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गए ऋण; स्थानीय सरकारी निकाय (जैसे, नगर निगम); और संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित कॉर्पोरेट निकाय। एफ) स्टाफ/बैंक कर्मचारियों को संस्वीकृत ऋण।
- जी) उधारकर्ता खाते,निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त, जिन्होने समाधान ढांचा-1.0\* के अंतर्गत किसी भी समाधान का लाभ उठाया है:
- ए. उधारकर्ताओं के ऋणों के मामले में, जहाँ समाधान ढांचा-1.0 के संदर्भ में समाधान योजनाओं को लागू किया गया था, और जहाँ रिज़ॉल्यूशन योजनाओं ने कोई अधिस्थगन नहीं दिया था या दो वर्ष से कम की अविध का अधिस्थगन दिया था और/या दो वर्ष से कम की अविध के लिए अविशष्ट अविध के विस्तार की अनुमित दी थी, परिचालन इकाईंको इस ढ़ाचे के अंतर्गत लाने की अनुमित है।
  - i. ऐसी योजनाओं को **केवल** 2 वर्ष की सीमा के अधीन अधिस्थगन की अविध बढ़ाने/अविशष्ट अविध के विस्तार की सीमा तक संशोधित करने और ऐसे विस्तार को लागू करने के लिए ऋण की शर्तों में आवश्यक परिणामी परिवर्तन करने के लिए।
  - ii. वर्तमान ढांचा एवं समाधान ढांचा-1.0 के तहत दी गई स्थगन और/या अविशष्ट अविध के विस्तार पर समग्र सीमा संयुक्त रूप से दो वर्ष का होगी।
  - iii. संशोधन इस ढांचे के तहत उल्लिखित समयसीमा का पालन करेंगे।
  - iv. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड समाधान ढांचा 1.00 के जैसे ही लागू होंगे।
- बी. समाधान ढांचा 1.00 के तहत हल किए गए छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण (इस नीति का खंड-9 में वर्णित)
  - \*आरबीआई द्वारा आरबीआई परिपत्र दिनांकित 06.08.2020 (हमारे ई-परिपत्र
  - सं. सीआरओ/सीपीपीडी-एडीवी/79/2020-21 दिनांकित 02.09.2020) द्वारा सूचित कोविड-
  - 19 संबंधी तनाव के लिए समाधान वर्तमान ढांचा व समाधान ढ़ाचा 1.0 के तहत ढांचे को अब
  - से समाधान ढांचा 1.00 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

### 3. पात्र उधारकर्ता/उधारकर्ता की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रलेख साक्ष्य:

### ए. वैयक्तिक (गैर-व्यावसायिक) ऋणों के लिए:

- क) परिचालन इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए यह सुविधा केवल उन मामलों में दी गई है, जहाँ कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण परिसंपत्तियाँ तनाव है, जैसे:
  - i. वेतन/आय में कमी
  - ii. लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन में कटौती/निलंबन
  - iii. नौकरी छुटना/व्यवसाय बंद होना
  - iv. लॉकडाउन के दौरान स्व-रोज़गार/पेशेवर/व्यवसायियों के मामले में इकाइयों/दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बंद होना/गतिविधि में कमी
  - v. अन्य मामले, जहाँ लॉकडाउन और अन्य कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण उधारकर्ताओं के आय प्रवाह/नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - vi. वेतन/आय में कोई कमी नहीं हुई है लेकिन उधारकर्ता/परिवार के सदस्य कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कोविड-19 के उपचार पर काफी खर्च किया है।
- बी) यह सुविधा उधारकर्ताओं को अनुरोध पर प्रदान की जाएगी।
- सी) समाधान ढांचा 1.00 के लिए अनुमोदित प्रारूप पर आवेदन (यह वचन देते हुए कि वे कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं) - (नीचे जी. में उल्लिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध)।
- डी) कोविड-19 पूर्व अविध (यानी फरवरी 2020) की वेतन पर्ची के रूप में प्रलेख साक्ष्य और वर्तमान वेतन पर्ची प्राप्त की जानी चाहिए।
- ई) नौकरी से बर्खास्तगी/कार्य-मुक्ति पत्र (नौकरी छूटने के मामले में)
- एफ) स्व-रोज़गार पेशेवरों/व्यवसायियों से यह घोषणा करते हुए कि उनका व्यवसाय कोविड-19 से प्रभावित है, सरल घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- जी) इस ढांचे के तहत राहत हेतु ग्राहकों के लिए उनकी संभावित पात्रता का पता लगाने और आवेदन करने के लिए (प्रलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने सिहत) हमारी वेबसाइट पर एक डिजिटल मंच (जैसा कि कोविड समाधान ढांचा-1.00 में प्रयुक्त किया गया) उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें ओटीपी के माध्यम से उधारकर्ता का सत्यापन शामिल होगा, जो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

- एच) ग्राहकों के पास पैकेज के तहत राहत के लिए अपनी होम शाखाओं में जाकर आवेदन करने का विकल्प भी होगा। ग्राहक के अनुरोध के विवरण फीड करने के लिए शाखाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगी।
- आई) संबंधित व्यावसायिक इकाइयाँ (पीबीबीय/आरईएचबीय) शाखाओं में ऐसे अनुरोधों को संभालने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करें या कोविड समाधान ढांचा-1.00 के तहत प्रयुक्त तंत्र का उपयोग करें।

### बी. व्यवसाय ऋणों के लिए:

- ए) कोविड-19 के कारण परिचालन के तनाव में होने के उल्लेख के साथ बोर्ड के प्रस्ताव (कंपनियों के मामले में) द्वारा समर्थित अनुरोध पर उधारकर्ताओं को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। अन्यों के मामले में, साधारण घोषणा कि उनका संचालन कोविड-19 के कारण तनाव में है, के साथ आवेदन लिया जाएगा।
- बी) अप्रैल 2020 से लेकर नवीनतम उपलब्ध महीने तक की जीएसटी विवरणियाँ प्राप्त की जाएँ और पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अविध की विवरणियों के साथ तुलना की जाए। यदि बिक्री में काफी अधिक कमी देखी जाती है, तो उन व्यवसायों को कोविड-19 प्रभावित माना जा सकता है।
- सी) नई इकाइयों के लिए, जीएसटी विवरणियों में परिलक्षित बिक्री की तुलना आकलन के समय अनुमानित बिक्री से की जानी चाहिए।
- डी) जिन इकाइयों को जीएसटी से छूट प्राप्त है, उनके मामले में राहत के लिए जनवरी 2020 से आवेदन करने की तारीख से 15 दिन पहले तक की अवधि के लिए खातों का विवरण प्राप्त किया जाना है।

### 4. संदर्भ तिथि:

समाधान के लिए विचार की जाने वाली ऋण की बकाया राशि की संदर्भ तिथि 31 मार्च 2021 होगी।

### लागू करना:

- ए) जिस तारीख को बैंक ने आवेदन के आधार पर उधारकर्ता को सूचित किया कि बैंक, सैद्धांतिक रूप से, समाधान पैकेज को लागू करने के लिए सहमत है, लागू करने की तारीख होगी।
- बी) इस ढांचे के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए परिचालन इकाइयों द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों के संबंध में, इस नीति में निहित अनुदेशों के अनुसार समाधान के लिए पात्रता का मूल्यांकन पूरा किया जाएगा और ऐसे आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को आवेदन पर निर्णय के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा।
- सी) इस ढांचे के तहत समाधान 30.09.2021 के बाद नहीं किया जा सकता है।
- डी) यदि उधारकर्ता को ऋण देने वाली कई संस्थाओं का एक्सपोज़र है तो इस ढांचे के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाएगा।

### 6. समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा:

इस विंडों के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर समाधान योजना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

#### 7. समाधान योजना का दायरा:

#### ए. वैयक्तिक (गैर-व्यावसायिक) ऋणों के लिए:

- ए) जिन उधारकर्ताओं की आय प्रभावित हुई है, उनके लिए 24 माह तक के लिए अधिस्थगन विस्तारित किया जा सकता है।
- बी) किश्तों का पुनर्निर्धारण एवं समयाविधि का विस्तार (अधिस्थगन अविध सिहत) अधिकतम दो वर्ष की समतुल्य अविध तक और अधिकतम 2 वर्ष की समतुल्य अविध (अधिस्थगन अविध सिहत) के लिए समयाविध का विस्तार।
- सी) आवास ऋण लेने वालों के लिए एलटीवी अनुपात 95% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- डी) ईएमआई/एनएमआई अनुपात (अधिस्थगन के बाद) 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना अधिस्थगन के अंत में संशोधित ईएमआई और वर्तमान आय या अनुमानित आय के आधार पर की जाएगी।
- ई) जहाँ नौकरी छूटना शामिल है, उधारकर्ताओं की भविष्य की आय का अनुमान लगाने के लिए एक मानदंड पिछले 3 वर्षों की उनकी औसत आय होना चाहिए।
- एफ) अधिस्थगन अवधि, यदि दी जाती है, तो समाधान योजना के कार्यान्वयन के तुरंत बाद लागू हो जाएगी।
- जी) चुकौती अधिस्थगन अवधि के समाप्ति के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी।
- एच) बैंक को इस ढांचे के तहत अतिरिक्त प्रावधान करने होंगे। प्रावधानों की अतिरिक्त लागत 70 बीपीएस प्रति वर्ष बैठती है। उधारकर्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, इस ढांचे के तहत विचार किए गए सभी ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज के रूप में केवल 50% यानी 35 बीपीएस लगाने का प्रस्ताव है, शेष 50% बैंक द्वारा अवशोषित किया जाएगा। हालांकि, 30 लाख रुपये तक के आवास ऋण और 10 लाख रुपये तक के अन्य ऋणों के संबंध में, कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा, और प्रावधान की पूरी लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
- i) इस ढांचे के तहत समाधान योजना के रूप में समझौता निपटान की अनुमति नहीं है।

### बी. व्यवसाय ऋणों के लिए:

केवल मीयादी ऋण रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए:

- ए) परिचालन इकाइयों को मीयादी ऋणों के अधिस्थगन और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।
- बी) हालांकि, मूलधन/ब्याज/दोनों की चुकौती को पुनर्निधीरित करने का विकल्प मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जा सकता है।
- सी) मूलधन की किश्तों की चुकौती के लिए 2 वर्ष तक के अधिस्थगन पर विचार किया जा सकता है।
- डी) ऋण की अवधि को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमित है।
- ई) ब्याज अधिस्थगन अधिकतम 2 वर्ष तक दिया जा सकता है। अधिस्थगन अविध के दौरान अर्जित ब्याज को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। अधिस्थगन के अंत में बुलेट चुकौती। समय-पूर्व भुगतान के मामले में कोई समय-पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।
- एफ) आरपी के कार्यान्वयन के तुरंत बाद से अधिस्थगन अवधि लागू हो जाएगी।
- जी) ऊपर बताए गए सभी चरणों में, चुकौती अवधि अधिकतम 2 वर्ष (अधिस्थगन सहित) तक ही बढ़ायी जा सकती है।
- एच) सभी मीयादी ऋणों के मामले में नई चुकौती अनुसूची तैयार की जाएगी।

### कार्यशील पूंजी ऋण वाले उधारकर्ताओं के लिए:

- आई) मामला-दर-मामला आधार पर माल सूची/प्राप्य स्तरों और/या मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।
- जे) यदि पुनर्मूल्यांकन की गई निधि आधारित कार्यशील पुंजी सीमाएँ मौजूदा निधि आधारित कार्यशील पुंजी की सीमाओं से अधिक हैं, लेकिन समग्र एक्सपोज़र के भीतर हैं तो दोनों तरह से अंतर-परिवर्तनशीलता (एनएफबी से एफबी और इसके विपरीत) को बढ़ाई गई एफबी डब्ल्यूसी सीमाओं तक अनुमित दी जा सकती है। हालांकि, एनएफबी से एफबी सुविधाओं के लिए अंतर-परिवर्तनशीलता को चुनिंदा रूप से लागु किया जाएगा और इसे 31.03.2022 तक वापस लेना होगा।
- के) 2 वर्ष तक के ब्याज अधिस्थगन पर विचार किया जाएगा। अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद 24 महीने के भीतर उधारकर्ता द्वारा एफआईटीएल चुकाया जा सकता है।
- एल) संबंधित वर्षों के लिए डीएससीआर की गणना के लिए एफ़आईटीएल पुनर्भुगतानों को गुणक किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाना है कि यह निर्धारित बेंचमार्क से नीचे न हो।

## एम) मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों सुविधाएं रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए:

मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी पर लागू दिशा-निर्देश लागू होंगे।

### एन) सभी व्यावसायिक ऋणों के लिए:

समाधान योजना में, ऋण के एक हिस्से को इक्विटी या उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए अन्य विपणन योग्य, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का प्रावधान हो सकता है, बशर्ते ऋणमुक्ति अनुसूची और ऐसी ऋण प्रतिभूतियों द्वारा ले जाया गया कूपन, संकल्प योजना के कार्यान्वयन के बाद किए गए बैंक की पुस्तकों में धारित ऋण की शर्तों के समान हों। बैंक द्वारा ऐसे लिखतों का रखना बैंक की निवेश नीति के अधीन होगा।

- ओ) जारी किए गए इक्विटी साधनों का मूल्यांकन, यदि कोई हो, पैरा 29 (डी) और 29 (ई) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, आर बी आई के तनाव ग्रस्त आस्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क से संबन्धित दिनांक 21.08.2019 के ई-परिपत्र संख्या CCO/CPPD-ADV/79/2019-20 के अनुबंध-1 के पैरा 29 (ए) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- पी) यदि ऋण के किसी भी हिस्से को किसी अन्य प्रतिभुति में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे समग्र रूप से रु. 1 का मूल्य माना जाएगा।
- क्यू) इस ढांचे (फ्रेमवर्क) के तहत समाधान योजना के रूप में निपटारा समझौताओं की अनुमित नहीं है।

### 8. समाधान योजना के लिए कार्यान्वयन शर्तै:

समाधान योजना को तभी लागू किया समझा जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाएं:

- ए) बैंक और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन और प्रदान किए गए जमानत पर प्रभार का सृजन, यदि कोई हो, सहित सभी संबंधित दस्तावेज समाधान योजना के अनुरूप कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- बी) पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, उधारकर्ता के खाते मानक (स्टैंडर्ड) बने रहने दिये जाएंगे।
- सी) उपरोक्त निर्धारित समयसीमा / ढांचे के उल्लंघन में लागू की गई कोई भी समाधान योजना पूरी तरह से 7 जून 2019 को जारी तनावग्रस्त आस्ति (स्ट्रेस्ड एसेट्स) के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क द्वारा शासित होगी।

### 9. समाधान ढांचे 1.00 के तहत हल छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण:

ए) ऊपर, खंड 1 (बी) और (सी) में निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के संबंध में जहां समाधान ढांचे-1.0 के अनुसार समाधान योजनाओं को लागू किया गया था, परिचालन इकाइयों को, एक-बार के उपाय के रूप में, कार्यशील पूंजी स्वीकृत सीमाओं और/या कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर आहरण शक्ति की समीक्षा करने, मार्जिन में कमी आदि को, पुनर्गठन के रूप में बिना माने, अनुमित दी जाती है।

- बी) उपर्युक्त के संबंध में निर्णय, 30-09-2021 तक लिया जाना होगा, जिसमें समाधान ढांचा (फ्रेमवर्क) -1.0 के अंतर्गत लागू समाधान योजना के अनुसार मार्जिन और कार्यशील पूंजी सीमाओं को 31-03-2022 की सीमाओं तक बहाल किया जाएगा।
- सी) उपर्युक्त उपाय, उन प्रचालन इकाइयों/स्वीकृति प्राधिकारियों पर प्रयोज्य होंगे जो इस बात से संतुष्ट होंगे कि COVID-19 से हुई आर्थिक स्थिति में गिरावट के कारण यह आवश्यक है। यह, बाद में, पर्यवेक्षी समीक्षाओं के अधीन होगा।

### कोविड - 19 से संबन्धित तनाव के लिए समाधान ढांचे 2.00 के अंतर्गत आवेदन (पात्र वैयक्तिक ऋण के लिए)

c		
।. उधारकर्ता(ओं) का (के) नाम	i) श्री/श्रीमती/कुमारी	
a) पता:	(Text)	
b) मोबाइल संख्या (बैंक में पंजीकृत)	(10 अंकों का मोबाइल नं.)	
(बैंक में पंजीकृत) c) ई-मेल आईडी (बैंक में पंजीकृत)	(E-Mail ID)	
॥. स्वीकृत ऋण का प्रकार	(ड्रॉपडाउन विकल्प: आवास/ऑटो/शिक्षा/अन्य)	
	यदि अन्य, कृपया स्पष्ट करें	
a) खाता संख्या	(11-अंकों का खाता संख्या)	
b) शाखा कूट संख्या	(५-अंकों का शाखा कूट)	
c) शाखा का नाम	(Text)	
d) ऋण राशि	₹(राशि रुपये में )	
III. भुगतान न करने का कारण	(ड्रॉपडाउन विकल्प: वेतन में कटौती/नौकरी खो देना /व्यापार बंद/व्यापार	
	में अस्थायी व्यवधान/अन्य)	
	यदि अन्य, कृपया स्पष्ट करें	
a) आय का स्रोत	ड्रॉपडाउन विकल्पः वेतन/व्यवसाय/व्यवसाय/अन्य)	
	यदि अन्य, कृपया स्पष्ट करें	
b) प्री-कोविंड 19 आयं विवरण	माह : फरवरी 2020	
c) वर्तमान आय विवरण	माहः <i>(पिछले महीने)</i> निवल मासिक आय - <i>(राशि रुपये में)</i>	
d) सबूत के तौर पर अपलोड किए गए दस्तावेज	(ड्रॉपडाउन विकल्प: वेतन स्लिप/बैंक खाता विवरण/समाप्ति पत्र/अन्य)	
	यदि अन्य, कृपया स्पष्ट करें	
e) क्या स्थगन की आवश्यकता है । (हां/नहीं)		
f) क्या किस्तों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है (हां/नहीं)	(ड्रॉपडाउन विकल्पः हां/नहीं)	
	Generate OTP	
IV. कृपया अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर में जनरेट ओ टी पी दर्ज करें।		
नंबर में जनरेट ओ टी पी दर्ज करें । \$		
Φ		

कोविड-19 महामारी के कारण आ रही उपरोक्त मजबूरी /कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं/ हम आपसे अनुरोध करते है कि आप हमारे अनुरोध पर अनुकूलता से विचार करें । यदि अनुरोध को मान लिया जाता है तो हम बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्निर्धारण/पुनर्निर्धारण के नियमों और शर्तों का पालन करेंगे ।

तिथि: ऑटो जेनरेट

बैंक को जानकारी प्रस्तुत करें

# कार्यालय उपयोग के लिए

1. क्या प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत स्वीकार्य है:	(ड्रॉपडाउन विकल्प: हां/नहीं)
	(यदि 'नहीं' आइटम ७. नीचे जाने के
	लिए)
2. स्थिति 31.03.2021 को	
a) बक़ाया *	₹ (राशि रुपये में)
<b>b)</b> क्या अनियमित	(हां/नहीं)
c) पहली अप्रदत्त ईएमआई (देय तिथि)	(डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)
d) अनियमितता की अवधि(दिनों में)	(दिनों की संख्या)
e) आईआरएसी स्थिति∗	( एसएमए-0, एसएमए-1, एसएमए -2)
f) क्या Covid19 समाधान ढांचा 2.00 के	हाँ (यदि दिनांक 31.03.2021 को मानक है)
तहत पात्र	नहीं (यदि आईआरएसी स्थिति, मानक के अलावा,
	दिनांक 31-03-2021 को)
	यदि "नहीं" तो, नीचे मद संख्या ७ जाएँ)
3. स्थिति के रूप <i>में (लागू की तारीख)</i>	
a) बकाया है*	₹ (राशि रुपये में)
b) आईआरएसी स्थिति∗	( एसएमए-0, एसएमए-1, एसएमए -2, आदि)
4. मूल स्वीकृति विवरण	
a) ईएमआई*	₹ (राशि रुपये में)
b) परिपक्तता की तिथि*	(डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)
c) ईएमआई/एनएमआई	
5. आय विवरण	
a) आय का स्रोत	(ड्रॉपडाउन विकल्प: वेतन/ व्यवसाय/ व्यवसाय/
	अन्य)
	यदि अन्य, कृपया स्पष्ट करें
b) फरवरी 2020 के महीने के लिए निवल	₹ (राशि रुपये में)
मासिक आय (पूर्व-कोविड19)	
c) निवल मासिक आय (वर्तमान) के महीने के	₹ (राशि रुपये में)
लिए माह	
6. कोविड 19 समाधान ढांचे के तहत प्रस्ताव का	
विवरण	93
a) कार्यकाल में वृद्धि को मंजूरी	महीने
	ऊपर आइटम ४ (ख) पर परिपक्वता की मूल
	तारीख से अधिकतम 24 महीने) ।
b) स्थगन को मंजूरी	महीने
	अधिकतम 24 महीने (यदि कारण नौकरी
	जाना/ व्यापार बंद होना है )

	अधिकतम 12 महीने (अन्य कारणों के
	मामले में)
c) संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार	[(लागू करने की तिथि (मद 3) + स्थगन
पहले पुनर्भुगतान की तिथि #	अनुमोदित (मद 6.b)]
d) संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार	[मूल स्वीकृति के अनुसार परिपक्वता की तिथि
परिपक्वता की तिथि. #	(मद 4.b) + कार्यकाल में विस्तार (मद 6.a)]
e) संशोधित ईएमआई	₹ (राशि रुपये में)
<b>7. स्वी</b> कृत/अस्वीकृत #@	(ड्रापडाउन विकल्प - अस्वीकृत (यदि 1, 2एफ,
	3सी, में उत्तर 'नहीं' है तो) / संस्वीकृत (यदि
	क्र.सं. <b>1, 2</b> एफ में उत्तर 'हाँ' है तो <b>)</b>

मूल्यांकनकर्ता निर्धारणकर्ता संस्वीकृति प्राधिकारी

#### नोट्स :

- 1) \$ ग्राहक द्वारा आवेदन पत्र में फील्ड III तक सभी विवरण दर्ज करने के बाद ग्राहक को ओटीपी जनरेट करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, । उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को उनके द्वारा, फील्ड IV में दर्ज किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें अपना अनुरोध प्रस्तुत करने का विकल्प दिया जाएगा ।
- 2) \* इन फील्ड में डेटा ऑटो पापुलेट / सीबीएस से दिलवाया जाएगा
- 3) # इन फील्ड में डेटा, सिस्टम द्वारा स्वगणना की जाएगी.
- 4) @ जब उधारकर्ता का अनुरोध फील्ड नंबर 7 पर स्वीकृत/अस्वीकार कर दिया जाता है, तो निर्णय की सूचना देने वाला एक एसएमएस और ई-मेल उधारकर्ता के पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल को भेजा जाएगा।